रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 131] नई दिल्ली, शनिवार, जून 1, 1974/ज्येष्ठ 11, 1896
No. 131] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1, 1974/JYAISTHA 11, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

ORDER

New Delhi, the 29th May 1974

G.S.R. 252(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Restriction on Use) Order, 1974.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on the 1st day of June, 1974.

2. **Definition.**—In this Order, "Liquefied Petroleum Gas" shall have the meaning assigned to it in Item No. 11-A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

3. **Restriction on use of Liquefied Petroleum Gas.**—No person shall use or permit the use of Liquefied Petroleum Gas for automative purposes or for any purpose ancillary thereto.

4. **Power of search and seizure.**—Any police officer not below the rank of a Head Constable, or any other Officer of Government of or above an equivalent rank, authorised in this behalf by the Central Government or State Government, may, with a view to securing compliance with this Order to satisfying himself that this Order or any order made thereunder has been compiled with:—

(a) stop and search any automative vehicle which the Officer has reason to believe has been, or is being, or is about to be, used for the contravention of this Order or any Order made thereunder;

(b) seize stocks of Liquefied Petroleum Gas in respect of which he has reason to believe that a contravention of the provisions of this Order or any order made thereunder has been, or is being, or is about to be, made."

[No. F. IS:11013/6/73-IOC]

C. VENKATARAMANI, Jt. Secy.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 मई, 1974

सा०का०नि० 252(अ):—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रयोग पर निर्बन्धन) आदेश, 1974 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह जून, 1974 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।

2 **परिभाषा**.—इस आदेश में, "द्रवित पैट्रोलियम गैस" का वही अर्थ होगा जो उसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 11 क में दिया गया है ।

3. **द्रवित पैट्रोलियम गैस के प्रयोग पर निर्बन्धन**.—कोई भी व्यक्ति द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रयोग मशीन के प्रयोजनों के लिए या उसके अनुषंगी किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा या नहीं करने देगा ।

4. **तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति**.—हवलदार से अनिम्न पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी या उसके समतुल्य या ऊपर के रैन्क का कोई अन्य सरकारी अधिकारी जिसे इस निमित्त केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने या अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि इस आदेश या तद्धीन दिए गए किसी आदेश का अनुपालन किया गया है :—

(क) ऐसे किसी मोटर यान को जिसके बारे में अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसका प्रयोग इस आदेश या तद्धीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, रोक सकेगा और तलाशी ले सकेगा ।

(ख) ऐसे द्रवित पैट्रोलियम गैस जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश या तद्धीन किए गए किसी आदेश के उपबंधों का उल्लंघन किया जा चुका है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, स्टाक को अभिग्रहण कर सकेगा ।

[सं० फा०आई एस : 11013/6/73-आई ओ सी]

सी० वैंकटारमणि, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974